



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक १७ (२)]

बुधवार, मार्च २५, २०२६/चैत्र ४, शके १९४८

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००]

असाधारण क्रमांक २८

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २५ मार्च, २०२६ ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशित किया जाता है :-

L. A. BILL No. XXX OF 2026.

A BILL

TO AMEND THE BHARTIYA NYAYA SANHITA, 2023, IN ITS APPLICATION TO THE STATE OF MAHARASHTRA.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ३० सन् २०२६।

महाराष्ट्र राज्य को उसकी प्रयुक्ति में यथा लागू, भारतीय न्याय संहिता, २०२३, में संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् २०२३ का ४५। **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र राज्य में उसकी प्रयुक्ति में यथा लागू भारतीय न्याय संहिता, २०२३ में संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :-

१. यह अधिनियम भारतीय न्याय संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, २०२६ कहलाए।

संक्षिप्त नाम।

सन् २०२३ का
४५ की धारा ७२
में संशोधन।

२. महाराष्ट्र राज्य को उसकी प्रयुक्ति में यथा लागू, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (जिसे इसमें आगे, “उक्त संहिता” कहा गया है) की, धारा ७२ की, उप-धारा (१) में, “ धारा ७१ ” शब्द और अंकों के पश्चात् “ या धारा १२४ ” शब्द और अंक निविष्ट किए जायेंगे ;

सन् २०२३ का
४५ की धारा ७५
में संशोधन।

३. उक्त संहिता की धारा ७५ की,—

(१) उप-धारा (१) के,—

(एक) खंड (चार) में, “टिप्पणियाँ” शब्द के पश्चात्, “या” शब्द निविष्ट किया जाएगा;

(दो) खंड (चार) के पश्चात्, निम्न खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

“(पाँच) टेलीफोन, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल संचार माध्यम से इस प्रकार का आपत्तिजनक संचार करना जो कामुक या अश्लील प्रकृति का हो ; या

(छह) किसी महिला के शरीर के किसी भी अंग का वास्तविक या मनगढ़ंत चित्रण करने सहित, जिसमें उस महिला की किसी भी सहमतिपूर्व या बिना सहमतिपूर्व यौन क्रिया में संलिप्तता दर्शाने वाली कोई भी तस्वीर, ध्वनि या वीडियो फाइल इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य प्रकार के मीडिया के माध्यम से अपलोड करने या प्रसारित करने की धमकी देना ; या

(सात) उस महिला को बदनाम करने या उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए किसी भी रूप में सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य मीडिया का उपयोग करना ; या

(आठ) उस महिला के नाम, विवरण, फोटो या पहचान के किसी अन्य साधन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने या उसकी निजता का उल्लंघन करने के लिए उपयोग करना ;”।

(२) उप-धारा (२) में, “खंड (तीन)” शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, “खंड (पांच) या खंड (छह) या खंड (सात) या खंड (आठ)” शब्द, अंक और कोष्ठक निविष्ट किए जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (सन् २०२३ का ४६) के अध्याय पांच की धारा ६३ से ९९ तक महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों और उनके लिए दंड का उपबंध हैं। महाराष्ट्र सरकार राज्य में महिलाओं को अतिरिक्त सुरक्षा और संरक्षण करने के लिए महाराष्ट्र राज्य को उसकी प्रयुक्ति में यथा लागू, उक्त संहिता की कतिपय धाराओं में संशोधन करना इष्टकर समझती हैं। करने

२. उक्त संहिता में प्रस्तावित संशोधन यथा निम्न हैं:-

(एक) उक्त संहिता की धारा ७२ में कतिपय यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान उजागर करने के अपराध और उसके लिए दंड का उपबंध हैं। उक्त संहिता की धारा १२४ में तेजाब के उपयोग दादा स्वच्छापूर्वक गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध के लिए दंड का उपबंध हैं, जो धारा ७२ में शामिल नहीं है। इसलिए, सरकार उक्त धारा ७२ में यथोचित संशोधन द्वारा तेजाब हमले के पीड़ित की पहचान उजागर करने के लिए दंड का उपबंध करना इष्टकर समझती हैं।

(दो) उक्त संहिता की धारा ७५ में विभिन्न कृत्यों का वर्णन हैं जो यौन उत्पीड़न के अपराध समझे जाते हैं। ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम से किए गए यौन उत्पीड़न के कृत्य, जैसे आपत्तिजनक संचार, किसी फोटो, ऑडियो या वीडियो फाइल को अपलोड करने या प्रसारित करने की धमकी आदि, उक्त धारा ७५ के अंतर्गत नहीं आते हैं। महाराष्ट्र सरकार उक्त संहिता की धारा ७५ में यथोचित संशोधन द्वारा ऐसे यौन उत्पीड़न के कृत्यों को शामिल करना और उनके लिए दंड का उपबंध करना इष्टकर समझती हैं।

३. यह संशोधन, शक्ति आपराधिक विधि (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, २०२० (सन् २०२० का विधानसभा विधेयक क्रमांक ५१) द्वारा भारतीय दंड संहिता, १८६० (सन् १८६० का ४५) में प्रस्तावित किए गए थे, जिसे उक्त संहिता द्वारा निरस्त कर दिया गया है। चूंकि, उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबंध उक्त संहिता में अंतरविष्ट नहीं हैं, इसलिए, यह संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना हैं।

मुंबई,
दिनांकित २४ मार्च, २०२६।

देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. अरुण कमळाबाई वाळू गिते,
प्रभारी भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य,

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित २५ मार्च, २०२६।

जितेंद्र भोळे,
सचिव-१,
महाराष्ट्र विधानसभा।